



भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 265

‘अवयस्क’ के भरण-पोषण धन से उद्भूत आय को
छूट देने की प्रत्याशाएं

मार्च, 2017

डा.न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष



Dr. Justice B. S. Chauhan
Former Chief Justice of Delhi High Court
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23012708

अ.शा. सं. 6(3)307/2016-एल.सी.(एल.एस.)

तारीख : 20 मार्च, 2017

प्रिय श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

पायल मेहता बनाम संजय सरीन वाले मामले पर विचार करते हुए, पंजाबा और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार करने के लिए विनय-वस्तु को भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया कि क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64(1क) के उपबंधों को न्यायालय के आदेश के अधीन माता-पिता/संरक्षक के हाथों भरण-पो-नण के रूप में अवयस्क बालक के माता-पिता में से एक द्वारा निक्षेपित रकम पर ब्याज के द्वारा प्रोदद्यभूत अवयस्क की आय को जोड़ने से छूट का उपबंध करने के लिए संशाधन करने की आवश्यकता है। इस मामले में यह अभिवाक् लिया गया है कि अवयस्क बालक के नाम में निक्षेपित भरण-पो-नण की रकम पर ब्याज पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

2. आयोग ने मुद्दे पर विचार किया और उसका यह मत है कि बालक के पक्ष में निक्षेपित भरण-पो-नण की रकम पर ब्याज द्वारा अर्जित आय को माता-पिता/संरक्षक की आय से जोड़े जाने से छूट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी छूट, यदि दी जाएगी, तो कर प्रवंचन की बाढ़ आ जाएगी जिससे राजस्व की हानि या क्षरण होगी और धारा 64(1क) के उपबंध के अंतःस्थापन का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा जो कर से बचने को रोकने हेतु खामी को दूर करने के लिए लाया गया था।

3. विधि आयोग विचाराधीन विनय पर श्री एम. आर. वेंकटेश, चार्टर्ड एकाउंटेंट और श्री अरविन्द मोदी, मुख्य आयकर आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों को अभिलिखित करना चाहता है।

4. 'अवयस्क' के भरण पो-ण धन से उद्भूत आय को छूट देने की प्रत्याशाएं शी-र्क वाली रिपोर्ट सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है ।

सादर,

भवदीय

ह0/-

(डा. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान)

श्री रविशंकर प्रसाद,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

रिपोर्ट सं. 265

‘अवयस्क’ के भरण-पो-ण धन से उद्भूत आय को छूट देने की प्रत्याशाएं

वि-य-सूची

पैरा	शी-र्क	पृ-ठ
1.	आयोग को निर्देश	5
2.	आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों पर पुनर्विचार	5-7
3.	कराधान विधियों का निर्वचन	7
4.	अधिनियम, 1961 की धारा 64 का विधायी इतिहास	7-10
5.	डा. राजा जे. चेलैया समिति की रिपोर्ट	10
6.	आस्तियों का अंतरण	10-11
7.	वित्त अधिनियम, 2012	11
8.	अभिरक्षा की प्रकृति और भरण-पो-ण आदेश	11-12
9.	छूट की मांग करने के तर्क	12
10.	छूट न दिए जाने के तर्क	12-15
11.	सिफारिशें	15

‘अवयस्क’ के भरण-पो-ण धन से उद्भूत आय को छूट देने की प्रत्याशाएं

1. आयोग के निर्देश

पायल मेहता बनाम संजय सरीन¹ वाले मामले पर विचार करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार करने के लिए विनय को भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया कि क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64(1क) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम, 1961 कहा गया है) के उपबंधों को न्यायालय के आदेश के अधीन माता-पिता/संरक्षक के हाथों भरण-पो-ण के रूप में अवयस्क बालक के माता-पिता में से एक द्वारा निक्षेपित रकम पर ब्याज के द्वारा प्रोद्भूत अवयस्क की आय को जोड़ने से छूट का उपबंध करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है। इस मामले में यह अभिवाक् किया गया है कि अवयस्क बालक के नाम में निक्षेपित भरण-पो-ण की रकम पर ब्याज पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए अर्थात् ऐसी आय को कर अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए माता-पिता में से किसी एक की आय के साथ नहीं जोड़ा जाए।

2. आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों पर पुनर्विचार

2.1 अधिनियम, 1961 की धारा 64(1क) इसप्रकार है :

(1क) किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में, ऐसी सभी आय सम्मिलित की जाएगी जो उसकी अवयस्क संतान को उद्भूत या प्रोद्भूत होती है। जो धारा 80प में विनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी निःशक्ता से पीड़ित अवयस्क संतान नहीं है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात, ऐसी आय की बाबत लागू नहीं होगी जो अवयस्क संतान को,-

(क) उसके द्वारा किए गए किसी शारीरिक कार्य से ; या

(ख) ऐसे क्रियाकलाप से, जिसमें उसके कौशल, प्रतिभा या विशेष-ज्ञीय ज्ञान और अनुभव का उपयोग हुआ है,

स्प-टीकरण - इस उपधाराके प्रयोजनों के लिए, अवयस्क संतान की आय,--

¹ 2016 एस. सी. सी. आन लाइन पं. और परि. 4989, तारीख 27.01.2016 के निर्णय और आदेश द्वारा।

(क) जहां उसके माता या पिता या विवाह अस्तित्व में है वहां, उस माता या पिता की आय में सम्मिलित की जाएगी जिसकी कुल आय (इस उपधारा के अधीन सम्मिलित किए जाने योग्य आय को छोड़कर) अधिक है, या

(ख) जहां उसके माता या पिता या विवाह अस्तित्व में नहीं है वहां, उस माता या पिता की आय में सम्मिलित की जाएगी जिसने पूर्ववर्ण में अवयस्क संतान का भरण-पोषण किया है ;

और जहां ऐसी कोई आय माता या पिता में से किसी एक की कुल आय में एक बार सम्मिलित कर ली जाती है वहां किसी उत्तरवर्ती वर्ण में उद्भूत होने वाली ऐसी कोई आय उस माता या पिता में से दूसरे की कुल आय में तब तक सम्मिलित नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी का, उस माता या पिता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है ।

2.2 इस बाबत अधिनियम, 1961 के दो अन्य सुसंगत उपबंधों पर भी विचार करना उचित है :

(i) **कटौती के संबंध में** – अधिनियम, 1961 की धारा 10(32) के अधीन, ऐसा माता/पिता जिनके साथ अवयस्क की आय जोड़ी जाती है, प्रति बालक 1500/- रु. तक की छूट पाने का हकदार है ।

(ii) **संपत्ति के अंतरण के संबंध में** – अधिनियम, 1961 की धारा 27 के अधीन, अवयस्क विवाहित पुत्री को किसी प्रतिफल के बिना अंतरित संपत्ति से उद्भूत आय ।

2.3 अधिनियम, 1961 के उपबंध, माता-पिता में से किसी एक की आय में भरण-पोषण रकम पर ब्याज के रूप में अवयस्क की आय को जोड़ने की छूट की अनुज्ञा नहीं देते । अतः, उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :

“न्यायालय की यह राय थी कि ऐसे मामलों में भी अपवाद सृजित किया जाए जहां अवयस्क बच्चों के लिए भरण-पोषण का उपबंध किया गया है ।

न्यायालय की राय में, भरण-पोषण घन पाने वाले अवयस्क की परिस्थितियां उस अवयस्क की परिस्थिति से भिन्न हैं जिनके नाम से उनके माता-पिता में से किसी एक द्वारा कोई कारबार आरंभ किया गया है या जिसे माता-पिता के विवाह के अस्तित्व के दौरान कोई दान दी गई है । अतः, माता-पिता में से किसी एक के साथ रह रहे

अवयस्क बालक की दशा में भरण-पोषण धन से हुई आय को जोड़ने के विरुद्ध एक अपवाद लाना वांछनीय है ।²

2.4 न्यायालय ने भी ऐसी स्थिति में छूट का उपबंध करते हुए अधिनियम, 1961 की धारा 64(1क) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का सुझाव दिया है ।

3. कराधान विधियों का निर्वचन

1961 की अधिनियम की धारा 64(1क) के उपबंधों का किसी अन्य रीति से निर्वचन करना संभव नहीं है क्योंकि उसमें प्रयुक्त भा-ना न तो संदिग्ध है और न ही इसके दो निर्वचन हो सकते हैं । आर्थिक कानूनों के निर्वचन में साम्यापूर्ण विचार कतई सुसंगत नहीं है । फिर भी तर्क या कारण का कराधान कानून के निर्वचन में अधिक फायदा नहीं हो सकता है । कोई भी पक्षकार अर्थात् निर्धारिती या राजस्व साम्या या कठिनाई का अभिवचन या अवलंब ले सकता है । इस प्रकार, इसमें कोई और बात नहीं पढ़ी जा सकती या इसमें विवक्षित नहीं है न ही इसमें कुछ घटाया जा सकता है । इसमें प्रयुक्त भा-ना का केवल उचित परिशीलन करना ही अपेक्षित है । वि-ंगति या अन्यथा का विचार तब तक कराधान कानूनों के अर्थान्वयन में कोई उपयोगी भूमिका नहीं निभाते जब तक इसमें कुछ वास्तविक संदिग्धता न हो । किसी उपधारणा या अनुमान पर अर्थ संबंधी कानूनों पर विचार नहीं किया जा सकता और इसका कोई और अर्थ नहीं निकाला जा सकता जो व्यक्त नहीं है न ही किसी अनुमानित कमी की पूर्ति की जा सकती है ।²

4. अधिनियम, 1961 की धारा 64 का विधायी इतिहास

4.1 धारा 64(1क) को अधिनियमित करने का प्रयोजन ऐसे माध्यम से संपत्तियों का बंदोबस्त या अंतरण करके कर दायित्व से बचने या कम कर देने और कर प्रबंचित करने की

² द एक्सप्रेस मिल नागपुर ब. म्युनिसिपल कमिटी वर्धा, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 341 ; सी. आई. टी. व. करमचंद प्रेमचंद लिमिटेड, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1175 ; बोर्ड आफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश ब. राय साहेब सिद्धनाथ मेहरोत्रा, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1092 ; कमीशन आफ इनकम टैक्स, पश्चिमी बंगाल 1, कलकत्ता ब. सेंट्रल इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 392 ; कालेक्टर आफ एस्टेट ड्यूटी ब. आर. कनकासाबाई, ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 1214 ; दीवान ब्रदर्स ब. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बम्बे, ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1503 ; स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर ब. कमीशन आफ इनकम टैक्स, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 757 ; पेट्रोल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्सन प्रा. लि. ब. सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 501 ; कमीशनर आफ इनकम टैक्स ब. ग्वालियर रायोन सिल्क मैनुफेक्चरिंग कंपनी लि., ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1782 ; कपिल मोहन ब. कमीशनर आफ इनकम टैक्स, दिल्ली ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 573 ; इंडर लि. ब. कमर्शियल टैक्स आफिसर, (2010) 9 एस. सी. सी. 461 ; और बंसल वायर इंडस्ट्रीज लि. ब. स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, (2011) 6 एस. सी. सी. 545.

प्रवृत्ति को निवारित करने के तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया था कि वह उस पर या उसकी आय पर नियंत्रण या हित प्रतिधारित कर सके किंतु वह कर दायित्व को कम कर सके।³ ऐसे अंतरण जानबूझकर कुटुम्ब के ऐसे सदस्य के पक्ष में किए गए थे जो सामान्यतः निर्धारिती के संरक्षण के अधीन थे या उसके आश्रित थे।⁴

4.2 अधिनियम, 1961 की धारा 64(1क) की संवैधानिक विधिमान्यता को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **के. एम. विजयन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**⁵ वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया था। धारा 64(1क) के विधायी इतिहास का न्यायालय द्वारा इस प्रकार विस्तार से उल्लेख किया गया है :

वित्त विधेयक, 1992 (1992 का 38) का पुरःस्थापन लोकसभा में किया गया और इसका अधिनियमन संसद् द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से किया गया। उक्त वित्त अधिनियम की धारा 35(ख) के निबंधनानुसार, संशोधन आयकर अधिनियम में सम्मिलित किए गए जिसके द्वारा धारा 64 की उपधारा (1क) को सम्मिलित किया गया जो इस प्रकार है :

(1क).....

यह देखने में आता है कि 1922 अधिनियम की धारा 16 और 1961 अधिनियम की धारा 64 प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आस्तियों के अंतरण के माध्यम से कर की प्रबंधना को रोकने के लिए अधिनियमित की गई। धारा 64(1क) अधिक आय रखने वाले माता-पिता के हाथों इसके स्रोत के बावजूद अवयस्क बालक की आय को सम्मिलित करती है। परंतुक इस मामले में दो अपवादों का उल्लेख करता है। जोड़ने से संबंधित पूर्व उपबंधों को उच्चतम न्यायालय और विभिन्न अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा विधिमान्य ठहराया गया। अधिनियम की धारा 16(3)(क)(i) और (ii) के उपबंध जो 1961 अधिनियम की असंशोधित धारा 64(1)(i) और (ii) के समान थे, को विधिमान्य ठहराया गया था और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(ख) के अतिक्रमण में नहीं थे जैसा **बालाजी बनाम आई. टी. ओ.** (1961) 43 आई. टी. आर. 393 (एस. सी.) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से देखा जा सकता है। 1961 अधिनियम की असंशोधित

³ तुलसी दास कालिचंद बनाम सी.आई.टी., (1961) 42 आई.टी.आर. 1 (एस.सी.)

⁴ बालाजी बनाम आई.टी.ओ., (1961) 43 आई.टी.आर. 393 (एस.सी.)

⁵ (1995) 215 आई.टी.आर. 371.

धारा 64(1)(iv) के समान 1922 के अधिनियम की धारा 16(3)(क) (iv) के उपबंधों को विधिमान्य ठहराया गया और जो संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में नहीं थे जैसा **जी. के. देवराजुलू नायडु बनाम सी. आई. टी.** (1963) 48 आई. टी. आर. 756 (मद्रास) वाले मामले में देखा जा सकता है। असंशोधित धारा 64(1)(i) और (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1)(ख) और (छ) का अतिक्रमण नहीं करती जैसा **श्रीमती श्रीकुनवर देवी डागा बनाम एल. जी. त्रिवेदी, आई.टी. ओ.** (1972) 85 आई. टी. आर. 451 और **श्रीमती सावित्री देवी बनाम सी. आई. टी.** (1974) टैक्स एल. आर. 74 (इला.) वाले विनिश्चयों में देखा जा सकता है। 1 अप्रैल, 1976 से यथा प्रतिस्थापित धारा 64(1)(iii) जो ऐसे अवयस्क की आय को जोड़ने का उपबंध करती है जिसे भागीदारी फर्म का फायदाग्राही स्वीकार किया गया था, को विधिमान्य ठहराया गया जैसाकि **के. कृ-णा बेनी बनाम ए. ए. सी.** (1985) 151 आई. टी. आर. 83 (मद्रास) वाले मामले के विनिश्चय में देखा जा सकता है।

4.3 यह देखा जा सकता है कि संसद् में वित्त विधेयक (1992 का 38) पुरःस्थापित करते समय वित्त मंत्री ने अपने भा-नण में इस प्रकार उल्लेख किया⁶ :

यह कहा जाता है कि बालक व्यक्ति का पिता है, किंतु हमारे कुछ करदाताओं ने बच्चों को अपने पिता के लिए कर आश्रय के रूप में परिवर्तित किया है। कर विधि माता-पिता द्वारा दिए गए दान से आय को जोड़ने का उपबंध करती है किंतु यह अन्य दान आस्तियों से हुई आय सहित अन्य आय को लागू नहीं होती और परस्पर दान देने की प्रक्रिया का उपयोग जोड़ने से बचने के लिए व्यापकतः किया जाता है। **चेलैया समिति** ने यह सिफारिश की है कि यह खामी जो राजस्व के पर्याप्त रिसाव के लिए उत्तरदायी है, को दूर करने के लिए अवयस्क बालक की आय को माता-पिता की आय के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह सुझाव सारगर्भित है और मैं इसे स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, हमारे देश में अधिकांश संख्या में विलक्षण प्रतिभा संपन्न बाल कलाकारों को ध्यान में रखते हुए, मैं उनकी वृत्तिक आय और अवयस्क की किसी मजदूरी आय को भी ऐसे जोड़ने की परिधि से अपवर्जित करने का प्रस्ताव करता हूँ। कर प्रयोजनों के लिए माता-पिता की आय के साथ अवयस्क बच्चों की आय को जोड़ने

⁶ (1992) 194 आई. टी. आर. 17 देखिए।

की यह प्रक्रिया कई देशों में प्रचलित है ।

5. डा. राजा जे. चेलैया समिति की रिपोर्ट

डा. राजा जे. चेलैया समिति⁷ द्वारा प्रस्तुत दिसंबर, 1991 के कर सुधार पर अंतिम रिपोर्ट इस प्रकार है :

“इस समय, भारत में अवयस्क को किसी भागीदारी के फायदों की आय को माता-पिता की आय में सम्मिलित की जाती है चाहे माता-पिता में से कोई इस फर्म का भागीदार है या नहीं । इसके अतिरिक्त, माता-पिता या पितामह-पितामही द्वारा उसको अंतरित किसी आस्ति से अवयस्क को प्रोद्भूत आय को ऐसे माता-पिता या पितामह-पितामही की आय में सम्मिलित किया जाता है जिसे ऐसी आय सृजित करने वाली आस्ति को अंतरित की गयी है । तथापि, उसे प्रोद्भूत अन्य सभी आय की बाबत, अवयस्क एक पृथक कराधेय अस्तित्व है । माता-पिता की आय में अवयस्क की आय को जोड़ने के तर्क को ध्यान में रखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि -

(क) मजदूरी आय से भिन्न अवयस्क की सभी आय को निम्नलिखित की कुल आय से जोड़ा जाए -

(i) अधिक आय रखने वाले माता-पिता, जहां माता-पिता में से किसी एक या दोनों की कुल आय व्यक्तिगत के लिए छूट सीमा से कम होती है ;

(ii) माता-पिता के विकल्प पर माता-पिता में से किसी एक की जहां माता-पिता में से दोनों की आय छूट सीमा से अधिक है ; और

(iii) यदि ऐसे माता-पिता जिसके साथ अवयस्क की आय पूर्व में जोड़ी गई थी, की आय छूट सीमा से नीचे होती है ।

(ख) यह नि-क-र्न निकालता है कि उसके पितामह-पितामही सहित किसी एक द्वारा उसको अंतरित आस्तियों से उद्भूत अवयस्क की आय को की गई उपरोक्त सिफारिश के अनुसार माता-पिता के आय में जोड़ा जाना चाहिए ।

6. आस्तियों का अंतरण

6.1 आस्तियां चाहे इसकी प्रकृति जैसी हो और अंतरण का इसका तरीका चाहे जो

⁷ रिपोर्ट के पैरा 6.38 में

हो, के अंतरण की दशा में, अंतरण सामान्यतः साशय और स्वतंत्र इच्छा से किया गया है ।

6.2 अपनी प्रकृति से ही, अप्रत्यक्ष अंतरण में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या अपने पति या अवयस्क बालक⁸ को आस्तियों के अंतरण के मूल आशय को प्रभावी बनाने के लिए अंतिम उद्देश्य के साथ एक से अधिक संव्यवहार अंतर्वलित होगा ।

7. वित्त अधिनियम, 2012

‘अंतरण’ शब्द को अधिनियम, 1961 की धारा 2 (47) में परिभाषित किया गया है । इसका स्प-टीकरण वित्त अधिनियम, 2012 (01.04.1962 के प्रभाव से) अंतःस्थापित किया गया । यह अंतरण शब्द को परिभाषित करता है जिससे यह सम्मिलित किया जाए और किसी आस्ति या उसमें किसी हित के निपटान या व्ययन सहित या किसी प्रकार से किसी रीति में करार द्वारा (चाहे भारत में या भारत के बाहर किया गया हो) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, आत्यंतिकतः या सशर्ततः, **स्वैच्छिकतः** या **अस्वैच्छिकतः** किसी आस्ति में किसी हित का सृजन सम्मिलित किया गया समझा जाएगा या अन्यथा किसी बात के होते हुए भी कि अधिकारों के ऐसे अंतरण को ऐसा समझा गया है मानो भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनी के शेयर या शेयरों के अंतरण से प्रभावित है या निर्भर है या उद्भूत है ।

8. अभिरक्षा की प्रकृति और भरण-पो-नण आदेश

यह उल्लेख करना श्रेयस्कर होगा कि बालक की अभिरक्षा का मुद्दा और उसके भरण-पो-नण की रकम का अवधारण अस्थायी प्रकृति का है । इन दोनों मुद्दों का विनिश्चय बालक के कल्याण और हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए न कि किसी कानून के अधीन माता-पिता के अधिकार को ध्यान में रखकर । प्रत्येक मामले का विनिश्चय उसके अपने निजी तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए और बालक का कल्याण सर्वोपरि है । ऐसे मामलों में पूर्व न्याय का मुद्दा अज्ञात है क्योंकि अभिरक्षा का आदेश और भरण-पो-नण की रकम माता-पिता में से किसी एक/पक्षकारों

⁸ डी.एम. नटवरलाल बनाम सी. आई. टी., (1979) 120 आई.टी.आर. 848 (बम्बे) देखिए ।

द्वारा आवेदन पर किसी प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा भिन्न-भिन्न हो सकती है⁹ ।

9. छूट की मांग के तर्क

ऐसा कोई निर्धारिती जो ऐसे तर्क देता है, यह होगा कि न्यायालय के निदेश पर अन्य पति/पत्नी द्वारा रकम को नियतकालिक निक्षेप में रखा गया था । इस प्रकार, उक्त पति/पत्नी ने विधिक बाध्यता के अधीन न कि स्वतंत्र इच्छा से ऐसा कार्य किया । निर्धारिती ऐसे अवयस्क के पक्ष में कोई अंतरण या निक्षेप नहीं किया बल्कि वह न्यायालय के आदेश द्वारा आबद्ध है । संरक्षक होते हुए, निर्धारिती आय या उसके किसी भाग से इस कारण किसी फायदे का उपयोग या कोई फायदा नहीं ले सकता क्योंकि ऐसा निक्षेप न्यायालय के निदेश के अनुसार बालक के कल्याण के लिए किया गया था । इसे अवयस्क की स्व-अर्जित आय की तरह समझे जाने की अपेक्षा है जो अधिनियम, 1961 की धारा 64 (1क) के परंतुक (क) और (ख) के समान माता-पिता में से किसी एक की आय के साथ नहीं जोड़ा जाता है । ऐसे मामलों में अवयस्क के लिए दिए गए भरण-पो-ण धन में से उद्भूत किसी आय का जोड़ा जाना माता-पिता/संरक्षक पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा । यदि अवयस्क की आय तब माता-पिता/संरक्षक की आय के साथ जोड़ी जाती है तो कर दायित्व में वृद्धि हो जाएगी । अतः भरण-पो-ण रकम से अवयस्क की आय को माता-पिता/संरक्षक की आय में नहीं जोड़ा जाना चाहिए ।

10. छूट न दिए जाने के तर्क

10.1. आयकर अधिनियम की धारा 64(1क) का स्प-टीकरण दोनों स्थितियों के अधीन, जब माता-पिता का विवाह अस्तित्व में रहता है और तब जब यह अस्तित्व में नहीं रहता है, संरक्षक की आय के साथ अवयस्क की आय को जोड़ने का उपबंध करता है । उच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए निर्देश किया जहां भरण-पो-ण के लिए निक्षेप माता-पिता या पितामह-पितामही द्वारा आस्तियों के अंतरण से पूर्णतः भिन्न है या माता-पिता में से किसी एक के द्वारा अवयस्क के नाम से कुछ कारबार आरंभ किया गया है या जिसमें कुछ दान दिया है जब माता-पिता का विवाह अस्तित्व में था । निर्देश साम्या और न्याय के सिद्धांतों पर किया गया, जो कर दायित्व

⁹ रोजी जैकब बनाम जैकद ए. चक्रमक्काल, ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2090 ; डा. आशी-न रंजन बनाम डा. अनूपमा टंडन, (2010) 14 एस. सी. सी. 274 ; अतर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद, ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1417 ; और शिल्पा अग्रवाल बनाम अविरल मित्तल, (2010) 1 एस. सी. सी. 591 देखिए ।

के अवधारण के मामले में लागू नहीं होता । यदि ऐसे आधारों पर वैवाहिक बेमेल के आधार पर भरण-पो-ण धन से आय को जोड़ने से छूट दी जाती है तो यह सभी अन्य वास्तविक मामलों को लागू होना चाहिए । सामान्यतः, आस्तियां अवयस्क के भवि-य को सुरक्षित करने के लिए अवयस्क के नाम में कर दी जाती हैं । यह सही है कि कई मामलों में, कर से बचने के एक मात्र प्रयोजन के लिए अवयस्क या पति/पत्नी को आस्तियों का अंतरित किया जाना मानो बुद्धिमत्ता का परिणाम है । प्रायः, अवयस्क बच्चों के पितामह-पितामही प्रेम और स्नेह, माता-पिता जहां वे कौटुम्बिक संपत्तियों और अन्य आस्तियों के संरक्षण करने में समर्थ न हो सकते हों, की ओर से वित्तीय अनुशासन का अभाव जैसे भिन्न कारणों से उनके नाम में पर्याप्त आस्तियां कर देते हैं । भागीदारी के फायदों के लिए अवयस्क को हकदार बनाना भी ऐसी परिस्थितियों द्वारा शासित हो सकता है ।

10.2. यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय कानूनी अपेक्षा का मूल्यांकन करने में असफल रहा जिसके अनुसार कर देने का दायित्व अधिनियम, 1961 की धारा 64(1क के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, पिता का होना प्रतीत होता है । अन्यथा भी पिता द्वारा न्यायालय के आदेश के अधीन निक्षेपित धन ऐसे धन से आय पर कर अदा करने के दायित्व के साथ-साथ उसके पास बना रहेगा यदि यह ऐसा अवयस्क के नाम से इस प्रकार निक्षेपित न किया गया होता । विधानमंडल द्वारा अपनी बुद्धिमत्ता से इसमें प्रयुक्त शब्द 'बनाए रखना' है । इसका अभिप्राय अवयस्क के भरण-पो-ण की मूलभूत लागत या जीवन या अस्तित्व की आवश्यकतों को उपलब्ध कराने के भत्ते सम्मिलित हैं और इसका अभिप्राय 'सम्पो-ण करना', 'सहायता करना' और 'वहन करना' या 'देखभाल के लिए भुगतान करना या साधन उपलब्ध कराना' भी है । बालक की अभिरक्षा करने और उसके भरण-पो-ण के दायित्व के बीच अंतर है ।¹⁰ इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिता ने बालक के भरण-पो-ण के लिए धन का संदाय किया था, माता यह अभिवाक् ले सकती है कि भरण-पो-ण धन पर ब्याज की आय को पिता के आय के साथ जोड़ा जा सकता है और इसके लिए कोई वाद हेतुक उद्भूत नहीं हो सकता ।

¹⁰ शॉटर ऑक्सफोर्ड इंग्लिस डिक्शनरी धारा 3(ख) 1956 ; हिंदू दत्तक और भरण-पो-ण अधिनियम, 1956 की धारा 3(ख) और बिहार राज्य बनाम मंगल साव, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 445 देखिए ।

10.3. उच्चतम न्यायालय ने **बाला जी** (उपरोक्त वाले मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन ऐसे मामलों के वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया --

तब यह कहा गया कि व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच वास्तविक भागीदारी हो सकती है, अतः, उन वास्तविक मामलों के विस्तार तक किसी भी दशा में वर्गीकरण और प्राप्तव्य ईप्सित उद्देश्य के बीच कोई युक्तियुक्त संबंध नहीं है। किंतु, वास्तविक और गैर-वास्तविक मामलों के बीच कोई वर्गीकरण नहीं है। वर्गीकरण पति, पत्नी और/या अवयस्क चाहे वे वास्तविक है या नहीं बच्चों और अन्य के बीच भागीदारी के बीच भागीदारी की मामलों के बीच है। एक समूह रेखांकित करने के लिए, जाल को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है किंतु यह आवश्यक था क्योंकि आगे वास्तविक और गैर-वास्तविक भागिदारियों का पश्चात्वर्ती उप-वर्गीकरण अधिनियम के प्रयोजन को विफल करेगा।

10.4 भागीदारी से अवयस्क बालक की आय को जोड़ने के संदर्भ में न्यायालय ने इस प्रकार स्प-ट किया है --

यह हो सकता है कि किसी पिता या पति को सामान्यतः जितना वह कर अदा करता, उससे अधिक दर पर कर अदा करना पड़े यदि पत्नी या बच्चों की आय को उसके कुल आय के साथ जोड़ने से उसे उच्चतर स्लैब में लाता है। किंतु, अनिवार्यतः ऐसे मामले में यह इस प्रकार नहीं हो सकेगा जहां पूर्व की आय निर्धारण योग्य नहीं है; यदि यह निर्धारण योग्य है तो वह अपनी पत्नी या बच्चों के अधिक भुगतान के भाग को डेबिट कर सकता है। संक्षेप में, फर्म यद्यपि रजिस्ट्रीकृत है, इस अंतर के साथ रजिस्ट्रीकृत फर्म के मामले के असमान निर्धारण की भिन्न इकाई के रूप में माना जा सकेगा, यदि यूनिट की संपूर्ण आय यथास्थिति पिता या पति व्यक्तिगत आय में जोड़ा जाता है। कराधान का यह ढंग पत्नी या अवयस्क बच्चों के साथ वास्तविक भागीदारी के मामले में पति या पिता को थोड़ा मुश्किल में डालेगा किंतु लाभकारी परिणामों द्वारा काफी हद तक यह प्रतिसंतुलन है जो उसी में से आम जनता को जाता है अर्थात्, आयकर के प्रवंचना का निवारण और यह तथ्य भी कि कुल मिलाकर पत्नी या अवयस्क बच्चों की आय पर किए गए कर का अतिरिक्त

भुगतान अंततः उनके बीच अंतिम रूप से किए गए लेखों में उनके द्वारा वहन किया जाएगा ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया)

10.5 उपरोक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा साम्या या ऋजुता के पहलू पर विचार किया गया । संरक्षक/माता-पिता अन्य स्रोतों पर ध्यान दिए बिना अवयस्क को प्रोद्भूत आय से प्रत्यक्षतः कर दायित्व पूरा कर सकते हैं ।

11. सिफारिशें

आयोग का यह मत है कि बालक के पक्ष में निक्षेपित भरण-पोषण की रकम पर ब्याज द्वारा अर्जित आय को माता-पिता/संरक्षक की आय से जोड़े जाने से छूट दिए जाने की अपेक्षा नहीं है ; क्योंकि ऐसी छूट, यदि दी जाएगी, तो कर प्रवंचना की बाढ़ आ जाएगी और राजस्व की भारी हानि या रिसाव कारित होगी और धारा 64(1क) के उपबंधों के अंतःस्थापन, जो कर की प्रवंचना को निवारित करने के लिए खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था, का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा ।

ह0/-

(न्यायमूर्ति डा. बी. एस. चौहान)

अध्यक्ष

ह0/-

(न्यायमूर्ति रवि आर. त्रिपाठी)

सदस्य

ह0/-

(प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार)

सदस्य

ह0/-

(डा. संजय सिंह)

सदस्य-सचिव

ह0/-

(सुरेश चंद्रा)

पदेन-सदस्य

ह0/-

(डा. जी. नारायण राजू)

पदेन सदस्य